(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/4910 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2016-17.

सुखदेव पिता भभूतिया जाति किराड,
निवासी देवडोंगरी, तहसील मुलताई,
जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1. नत्थू पिता गज्या जाति कुंबी
2. नारायण पिता गज्या जाति कुंबी
3. बाया पिता गज्या जाति कुंबी
4. ईमला पिता गज्या जाति कुंबी

सभी निवासी ग्राम जामगांव,
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अवधेश सैनी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा गरव्हा तहसील मुलताई स्थित भूमि खसरा नं. 178 रकबा 1.044 हैक्टेयर भूमि आवेदक सुखदेव किराड द्वारा विक्रय पत्र दिनांक

16.05.1978 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते समय त्रुटि के दौरान सरू पत्नी गन्या का नाम भी आवेदक के साथ दर्ज हो गया, जबकि आवेदक का इससे कोई संबंध नहीं था। आवेदक द्वारा इस त्रुटि में सुधार किये जाने हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार मुलताई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 5/अ-6/11-12 पंजीबद्ध कर प्रकरण में कार्यवाही कर दिनांक 27.04.2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर से आवेदक सुखदेव आ. भूत्या के नाम के साथ दर्ज सरू पत्नी गन्या जाति कुंबी का नाम निरस्त कर आवेदक सुखदेव का नाम यथावत रखा गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक नत्थू जो कि सरू के फौत होने के उपरांत वारसान है, द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 27.04.2013 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.10.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई द्वारा आवेदक को विधिवत् नोटिस तामील नहीं हुआ एवं उसके हस्ताक्षर फर्जी रहे हैं एवं उसके एकपक्षीय की कार्यवाही करते हुए समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्ती योग्य रहा था, इस तथ्य की ओर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

(2) आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खसरा नं. 178 रकबा 1.044 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई थी एवं अनावेदक की मां अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि 1959 में विक्रय की जा चुकी थी। तब ऐसी स्थिति में उसका नाम रिकॉर्ड से विलोपित नहीं किये जाने की त्रुटि के परिणामस्वरूप आवेदक के नाम के साथ त्रुटिवश सरू बाई का नाम दर्ज रहा, जिसे सुधार हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं नायब तहसीलदार द्वारा विधि प्रक्रिया के अंतर्गत आदेश पारित किया गया था, इस तथ्य की ओर

ध्यान न देते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये, जो निरस्ती योग्य है।

(3) पटवारी प्रतिवेदन का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया गया है, जिसमें पुत्री कलाबाई द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरू बाई ने अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी, तब ऐसी स्थिति में इस तथ्य को विनिश्चय किये बिना ही सरू बाई अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर चुकी हैं एवं पारू द्वारा बची हुई अपने हिस्से की भूमि आवेदक को विक्रय की थी, तब उसका नाम त्रुटिवश दर्ज रहने से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, इस तथ्य की ओर अपीलीय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत न रखते हुए आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) आवेदक को पारू द्वारा विक्रय दिनांक 16.05.1978 से कब्जा दिया जा चुका है एवं वह निरंतर कब्जे में है। इस तथ्य को भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत नहीं रखा गया है एवं अनावेदक द्वारा कभी कोई दखल नहीं दिया गया है। तब ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार के विपरीत उक्त आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरीत उक्त आदेश पारित किया गया है एवं नैसर्गिक न्याय एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, जो कि निरस्ती योग्य है।

(6) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से हटकर आवेदक के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरीत सारू बाई का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने की त्रुटि की गई है। विधिक प्रावधान है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिसके आधार पर नाम दर्ज किया गया है, उसे भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही जांच की जा सकती है। उक्त संबंध में 1984 आर.एन. 365 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य

है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1972-73 के रिकॉर्ड ऑफ राईट में पारू और सरू दोनों का सहखातेदार पर नाम था। चूंकि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अकेले पारू ने किया है, अत: प्रथमदृष्टया सरू का नाम सही दर्ज चला आ रहा था तथा अनावेदकगण सरू के वारिस हैं। तहसील न्यायालय में अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रावधानों के विपरीत है, जिसे निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर